7/11/24 - पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०।
वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली
पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व तहसीलदार की जांच
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे पाया
गया की प्रार्थी व अप्रार्थी ना के खेत खसरान की
तरमीम गलत दर्शित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी
दोनो अपने-2 खसरान की तरमीम शुद्धि करवाने
पुनः प्रा. पत्र पेश कर सकते है। अतः तरमीम शुद्धि
के पश्चात कार्यवाही अपेक्षित है। अतः प्रार्थी का
प्रार्थना-पत्र तरमीम अशुद्धि होने के साथ निस्तारित किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाप्ता
कार्यवाही के नंबर से कम होकर दाखिलदफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी रियाबड़ी
जिला-नागौर